न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 27/2019

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 भंवरसिंह पुत्र जालमसिंह,		1 तेजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी आशापुरा तहसील देसूरी जिला पाली राजस्थान
2 महेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासीगण तहसील बाली जिला पाली राजस्थान		2 महावीरसिंह पुत्र सुमेरसिंह जी 3 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 4 गहिपालसिंह पुत्र कालूसिंह जी जाति राजपूत निवासी पिपलाज तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री अर्जूनसिंह राजपुरोहित एवं श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 30/05/22—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम सारंगवास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 35, 36, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 197, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, व 97 कुल खसरा 27 रकबा क्षैत्रफल 544 बीघा व 12 बिस्वा में प्रार्थीगण के नाना स्वर्गीय नाथुसिंह पुत्र बिरदसिंह जाति राजपूत निवासी सारंगवास का 1/16वां हक हिस्सा खातेदारी का कब्जाकाश्त सुदा था। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 से 2019 व 2020 से 2023 से तदनुसार प्रविष्टियां है। प्रार्थीगण के नाना व नानी नाथुसिंह एवं उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के नाना नाथुसिंह का निधन वर्ष1962 में हुआ, उस समय उनके विधिक उत्तराधिकारियों का सजरा निम्न प्रकार से है—विशनकंवर(फौत) , समदकंवर उर्फ पवनकंवर(फोत) पि0 नाथुसिंह भंवरसिंह(पुत्र),महेन्द्रसिंह(पुत्र) पि0 विशनकंवर(फौत), शैतानसिंह उर्फ भंवरसिह गोदीपुत्र समदकंवर उर्फ पवनकंवर(फोत) है। नाथुसिंह का निधन होते ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में उनके हक हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमि पर उनकी दोनों पुत्रीयों विशनकंवर (प्रार्थीगण की माता) एवं पवनकंवर को तत्काल उत्तराधिकार में खातेदारी अधिकार विधिक रूप से न्यागत हो गये थे। इस प्रकार उपर वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थीगण की नाता का 1/16वे हिस्से का 1/2 अर्थात 1/32वे हक हिस्से के खातेदारी अधिकार विधिक रूप से प्राप्त हुये थे और इसी प्रकार प्रार्थीगण की सगी मासी समदकंवर उर्फ पवनकंवर को भी 1/32 वे हक हिस्से के खातेदारी अधिकार विधिक रूप से प्राप्त हुए थे और उसीनुसार दोनों बहिने विधिक रूप से अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त रही थी। नाथुसिह के निधन के पश्चात उनके हक हिस्से व खातेदारी की कृषि भूमि का नामान्तरणकरण उनकी दोनो पुत्रीयों के नाम भरा जाना विधिक रूप से आवश्यक था, परन्तु धारेश्वरसिंह जी ने पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में नाथुसिंह वल्द बिरदसिंह 1/16 के स्थान पर बिना नामान्तरकरण भरे अथवा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अपने नाम का अकंन करवा दिया, जो अकन देखने मात्र से त्रुटिपूर्ण व Ab-Initio-Void है और ऐसे अकन के आधार पर न तो नाथुसिंह की दोनों पुत्रीयों को प्राप्त खातेदारी अधिकार समाप्त हुए थे, एवं न ऐसे दोषपूर्ण अंकन के आधार पर धारेश्वरसिंह को कोई खातेदारी अधिकार वैध रूप से प्राप्त हुए थे, धारेश्वरसिंह स्वर्गीय नाथुसिंह के पुत्र नही थे, बल्कि वे भैरूसिंह के पुत्र थे। उक्त दोषपूर्ण प्रविष्टियों की पुनरावृति आगामी जमाबंदीयो में होती रही। द्वितीय भू—प्रबधन के बाद प्रार्थना

पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के नया खसरा नबंर क्षैत्रफल एवं खातों की स्थिति नई जनाबंदी सम्वत 2045 से 2048 के अनुसार खाता संख्या 51 नये खसरा संख्या 193 195, 196 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.4500 हैक्टर गै.मु.रास्ता, गै.मु.बेरा, गै.मु. राड़ा जिसमें धारेश्वरसिंह वल्द नाथुसिंह का 1/8वां हक हिस्सा दर्शाया गया है। खाता संख्या 52, नये खसरा संख्या क्षैत्रफल 107 108, 113, 114, 151/486, 110, 111, 112 (हैक्टर में) कुल खसरा 08 कुल रकबा 10.4500 हैक्टर गै.मु.सेरिया गै.मु.रूड़ा गै.मु.बेरा ढिमड़ी में धारेश्वरसिंह वल्द नाथुसिंह का 1/16वां हक हिस्सा दर्शाया गया है। खाता संख्या 72 नये खसरा संख्या 109, 151 कुल खसरा 02 कुल क्षैत्रफल– 7.1500 हैक्टर, जिसमें धारेश्वरसिंह वल्द नाथुसिंह का 1/8वां हक हिस्सा दर्शाया गया है। खाता संख्या 91 नये खसरा संख्या 152, 177, 190, 192, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा 08 कुल रकबा 28.8900 हैक्टर जिसमें धारेश्वरसिंह वल्द नाथुसिंह का 1/4वां एक हिस्सा होना दर्शाया गया है। धारेश्वरसिंह का निधन होने के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण उनकी पत्नी उगमकंवर के नाम भरा गया और राजस्व अभिलेख में तद्नुसार धारेश्वरसिंह के स्थान पर उगमकंवर का नाम अंकित किया गया, जो अंकन पूर्णतः विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर जब तक नाथुसिंह जीवित रहे, तब तक उनका कब्जा काश्त रहा, तथा उनके निधन के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि पर विधिक आधिपत्य प्रार्थीगण की माता व शैतानसिंह की माता का रहा था। प्रार्थीगण की नाता के निधन के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त आज भी विधिक रूप से प्रार्थीगण का ही है। जमाबंदी में गलत अंकन हो जाने के आधार पर उगमकंवर ने दिनांक 19/2/2013 को खसरा नबंर 177 में से कुछ हिस्सा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 02 महावीरसिंह को पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 402 स्वीकृति दिनांक 07/01/2014 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम अलग से 19/140वे हिस्से के खातेदार के रूप में अंकित किया गया है, जो अंकन पूर्णतः विधि विरूद्ध है। तत्पश्चात उगमकंवर ने दिनांक 03/06/2015 को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के द्वारा खसरा नबंर 198, 199, 200 में अपने नाम के अनुसार अंकित सम्पूर्ण 1/4वे हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय विलेख विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 तेजेन्द्रसिंह को कर दिया और उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण संख्या 507 व 508 स्वीकृति दिनांक 07/9/2015 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 का नाम विधि विरूद्ध रूप से खातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया। उगमकंवर को खसरा संख्या 198, 199 व 200 की कृषि भूमि पर न तो कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त था एवं न उनका विधिक आधिपत्य ही था और विधिक आधिपत्य व स्वत्वाधिकार के बिना किया गया विक्रय विलेख विधि की दृष्टि से Ab-initio Void है, तथा ऐसे विक्रय विलेख प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 54 के हक व खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को कोई अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नही होते है। क्योकि विक्रय स्वयं को वादग्रस्त कृषिभूमि पर खातेदारी अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नही थें।

इसी प्रकार श्रीमती उगमकंवर ने खसरा नबंर 109, 151 व 152 में अपने नाम के अनुसार अंकित सम्पूर्ण 1/4वे हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 25/02/2016 को विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 02 महावीरसिंह को कर दिया और उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 529 व 530 स्वीकृति दिनांक 20/04/2016 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 का नाम विधि विरूद्ध रूप से खातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया। उगमकंवर को खसरा नबंर 109, 151 व 152 की कृषि भूमि पर कोई स्वत्वाधिकार प्राप्त नही था और न ही उसका विधिक आधिपत्य था और स्वत्वाधिकार एवं विधिक आधिपत्य के बिना किया गया विक्रय विलेख विधि की दृष्टि से Ab Inition Void है तथा ऐसे विक्रय विलेख प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 54 के हक व खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को कोई अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नही होते है। क्योकि विक्रेता स्वयं के पास वादग्रस्त कृषि भूमि का स्वत्वाधिकार नहीं था। उगमकंवर की पिछले कुछ वर्षो से शारीरिक एवं मानसिक स्थिति खराब रहने लगी, उसकी याददास्त अत्यधिक कमजोर हो गयी उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। वह अपना भला बुरा सोचने व समझने की स्थिति में नही रही तथा उसे लकवा भी हो गया था तथा वर्ष 2017 में रक्षाबन्धन के एक दिन पूर्व उसका निधन

हो गया। तत्पश्चा अप्रार्थी संख्या 1 ने एक फर्जी वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में उगमकंवर के नाम से अंकित कृषि भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 572 अपने नाम का भरवा दिया। उगमकंवर के कोई जायन्दा संतान नही थी, तथा उसने अपने देवर गणपतसिंह जिनका निधन बहुत पहले हो चुका था, के एक सवा साल उम्र के पुत्र पूरणसिंह को अपने बेटे की तरफ पाल पोष कर बडा किया था। पूरणसिंह उगमकंवर के साथ ही ग्राम सारंगवास मे निवास करता था, जिसे जबरन बेदखल करने की कोशिश अप्रार्थी संख्या 2 महादीरसिंह ने की, तब दोनों पक्षो में मुकदमेबाजी हुई व विवाद बढा और तब प्रार्थीगण ग्राम सारंगवास आये, तब प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उगमकंवर की कुटरचित वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि मे उगमकंवर के नाम से अंकित कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर भरवा लिया है। तब प्रार्थीगण ने राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपिया मंगवायी, जिनके अवलोकन से प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के नाना नाथुसिंह के निधन के पश्चात धारेश्वरसिंह ने नाथुसिंह के हकम हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम करवा दी, जबकि नाथुसिह के निधन के पश्चात उनके हक हिस्से की कृषि भूमि पर वास्तविक रूप से उत्तराधिकार मे खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण की माता विशनकंवर एवं प्रार्थीगण की मौसी समदकंवर उर्फ पवनकंवर (प्रतिवादी संख्या 54 की माता) को विधिक रूप से प्राप्त हो चुके थे, परन्तु धारेश्वरसिंह ने कपटतापूर्वक राजस्व अभिलेख में अपना नाम अंकित करवा लिया। धारेश्वरसिंह के निधन के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखो में धारेश्वरसिंह के स्थान पर उनकी पत्नी उगमकंवर का नाम अंकित कर दिया गया है, एवं उगमकंवर ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से कुछ कृषि भूमि का विधि विरूद्ध रूप से विक्रय अप्रार्थी संख्या 01 व 2 को कर दिया एवं उगमकंवर के निधन के पश्चात कुटरचित वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने उगमकंवर के स्थान पर सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख मे अपना नाम खातेदार के रूप में अंकित करवा दिया है, जो सम्पूर्ण कार्यवाहियां विधि विरूद्ध एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 54 के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं निष्फलनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वसीयतपत्र देखने मात्र से कुटरचित प्रमाणित होता है, क्योंकि वसीयत से पूर्व ही खसरा नबंर 109, 151, 152, 198, 199 व 200 का विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जा चुका था, तथा वसीयत की दिनांक को उपरोक्त 06 खसरो में वसीयतकर्ता उगमकवर का नाम खातेदार के रूप में अंकित नही था। प्रार्थीगण को यह भी ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने नाथुसिंह के रहवासीय मकान को विक्रय करने की संविदा अप्रार्थी संख्या 2 से की है, और उस अधिकारविहिन संविदा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 14 जो शुरू से ही इस मकान में रह रहा है, को लाठी लकडी के बल पर बेदखल करने को आमदा है। प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 29/03/2019 को माननीय न्यायालय में वादपत्र एवं अस्थायी व्यादेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनाक 02/04/2019 को अप्रार्थी संख्या 1 श्री तेजेन्द्रसिंह पर समन की सम्यक तामिल हो चुकने एवं उसकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा दिनाक 10/04/2019 को माननीय न्यायालय में अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद उसी दिन शाम को 5.30 बजे अप्रार्थी संख्या1 द्वारा कपटतापूर्वक, वाद के विचाराधीन रहते, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नबंर 177 क्षेत्रफल 11.1700हैक्टर मे से अपने नाम से अंकित खातेदारी की कृषि भूमि 16/140वे हक हिस्से मे से 7/8 वे हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 महिपालसिंह को कर दिया। अप्रार्थी संख्या 4 को यह पुख्ता जानकारी थी कि खरीदी जाने वाली कृषि भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है और इसी कारण उसने 35-40 लाख रूपये किमत की कृषि भूमि मात्र 3,01,392/- अक्षरे तीन लाख एक हजार तीन सौ बीरानवे रूपयो मे क्रय की है। अतः अप्रार्थी संख्या 4 एक सद्भाविक क्रेता नही है, चूंकि मूल वाद मे वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत है, अतः अप्रार्थी

संख्या 1 विधिनुसार माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए बिना वादग्रस्त कृषि भूमि में से कोई भूमि किसी को भी विक्रय नही कर सकता था। सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52वाद के लम्बित रहने की अवधि मे वादग्रस्त सम्पति को अन्तरित या अन्यथा व्ययनित करने से निर्बनित करती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को दिनाक 10/04/2019 को पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा किया गया अन्तरण डोक्टरीन ऑफ लिसपेन्डेस Doctrine of Lis Pendene के सिद्धान्त के बाधित है। अत वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नबर 177 क्षैत्रफल 11.1700 हैक्टर मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित 16/140वे हिस्से के 7/8वे हिस्से की कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे दिनाक 10/04/2019 को निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय विलेख प्रार्थीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध Ab Inition Void है तथा ऐसे Void विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 4 को किसी विरूद्ध रूप से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 ने यह जानते हुए कि विक्रय की जा रही कृषि भूमि के संबंध में वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है, फिर भी उसने स्वेच्छया विक्रय पत्र दिनांकित 10/04/2019 मे यह मिथ्या अंकन किया है कि "यह कि बेचान की गई आराजीयात बाबत कोई बडा विवाद किसी भी न्यायालय/पुलिस मे विचाराधीन नही है।" इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने कपट कारित किया है। सारी घटनाओं की जानकारी होने के पश्चात प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 से मिले व उन्हे बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी भी भाग को बेचने अथवा वसीयत करने का अधिकार उगमकंवर को नही था, क्योकि उगमकंवर का नाम राजस्व अभिलेख में उसके पति धारेश्वरसिंह के स्थान पर अंकित किया है, एवं धारेश्वरसिंह को वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त नही था, क्योकि वे स्वर्गीय नाथुसिंह के पुत्र नही थे, बल्कि वे गैरूसिंह के पुत्र थे, एवं स्वर्गीय नाथुसिंह के निधन के समय उनकी दोनों पुत्रीयां जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी, वे दोनों जीवित थी। अत नाथुसिंह का निधन होते ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर उनकी दोनों पुत्रीयां श्रीमती विशनकंवर (प्रार्थीगण की माता) व श्रीमती समदकंवर उर्फ पवन कंवर(शैतानसिंह) की माता को उत्तराधिकार मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। केवल मात्र राजस्व अभिलेख में किये गये दोषपूर्ण अंकन के आधार पर न तो नाथुसिंह की दोनों पुत्रीयों के खातेदारी हक अधिकार समाप्त हुये है, एवं न धारेश्वरसिंह को वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे, और चूंकि श्री धारेश्वरसिंह का ही वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही था, तो उनकी पत्नी उगमकंवर को भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्वाधिकार/खातेदारी अधिकार प्राप्त नही था और उनके द्वारा यदि वास्तविक रूप से अथवा उनके साथ धोखाधड़ी कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने किसी प्रकार से विक्रय विलेखों का निष्पादन व पंजीयन करवाया भी है, तो यह सम्पूर्ण कार्यवाहिया अधिकारितविहिन होने के कारण शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा ऐसे विलेख प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 54 के हक अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा ऐसे विलेख प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 54 के लिए बाध्यकारी नही है। प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को विश्वास दिलाया कि परिवार के सभी सदस्य बैठ कर मामला सुलझा देंगे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 54 के हक अधिकारों के अनुरूप राजस्व अभिलेखों को सही करवा देंगे, तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि का बटवाड़ा भी करवा देंगे, तत्पश्चात दिनांक 24/03/2019 को प्रार्थीगण पुन: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिले, परन्तु उन्होने वादग्रस्त कृषि भूमि पुन: प्रार्थीगण के नाम करवाने व बटवाड़ा करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया व प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि पर लाठी लकड़ी के बल पर कब्जा कर लेंगे। उन्होने प्रार्थीगण को यह भी धमकी दी कि हम वादग्रस्त कृषि भूमि जो हमारे नाम दर्ज है। को भू-माफियों को बेच देंगे, तुम्हे जो करना है, वह करो, हम डरने वाले नही है। उन्होने यह भी एलानिया धमकियां दी कि हमारे पास पैसा है, हम तुम्हे

वादग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग शांतिपूर्वक हसीज करने नही देंगे। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृति के लोग है, इनके पास धनबल एवं जनबल है, यदि अप्रार्थीगण ने बलपूर्वक प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, पक्षकारों के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता होगी, प्रार्थीगण को रूपयो पैसो से जैर बार होना पड़ेगा, चूंकि प्रार्थीगण स्व. नाथुसिंह की पुत्री के पुत्र है, अतः उनका वादग्रस्त कृषि भूमि में हक अधिकार है, एवं इस प्रकार प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वाद के निचारण में लम्बा समय लगेगा, अतः न्यायहित मे मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थायी व्यादेश केद्वारा पाबंद किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी भी हक हिस्से का बेचान, बक्सीस या वसीयत अन्य किसी को नही करने, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर एजेन्ट के जरिये नही कराने एवं राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति को बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईशदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 01 तेजेन्द्रसिंह की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गांव सारंगवास तहसील सोजत के पुराने खसरा नंबर 35, 36, 47, 48, 49, 51 से 54 102 से 110 197 62 से 68 व 97 कुल खसरा 27 कुल रकबा 544 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि में नाथुसिंह का 1/16 हिस्सा आता था। नाथूसिंह के फौत पश्चात उनके वारिस धारेसिंह उर्फ धारेश्वरसिंह का कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा था। नाथूसिंह के धारेश्वरसिंह के अलावा अन्य कोई पुत्र+पुत्रिया नही थी। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि नाथूसिंह के दो पुत्रिया विशनकंवर, और समदकंवर थी तथा विशनकंवर के दो पुत्र भंवरसिंह व महेन्द्रसिंह है एव समदेकंवर के शैतानसिंह है। सैटलमेंट में भी अन्य कोई नाम दर्ज नही है। नाथूसिंह के कोई जायंदा पुत्रिया नहीं है। ऐसी स्थिति में माफिक हिन्दु उतराधिकारी अधिनियन प्रार्थीगण की माता को कोई किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। वितीय सेटलमेंट में दिनांक 15.07.1972 को सभी खातेदार की सभी आपसी समझाईश से उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो चुका है। बंटवाड़ा व राजीनामा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी के कोई साठ–गाठ नहीं कर गलत म्यूटेशन भरवाया हैं। फौतेदगी म्यूटेशन पूर्णरूप से वैध है। सैटलमेंट के दौरान व नामांतरकरण 46 दर्ज करते समय प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता ने कोई उज्र ऐतराज नहीं किया है। प्रार्थीगण ने बदनियतिपूर्वक अपने आपको स्व0 नाथूसिंह का दौहिता बताकर कपटपूर्ण उधेश्य से यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने पद संख्या 01 में वर्णित भूमि कुल खसरा 27 कुल रकबा 544 बीघा 12 बिस्वा होना बताया है। जिसके नये खसरा नंबर 193 195 196 107 108 113 114 151/486 110 111 112 109 151 152 177 190 192 197 198 199 200 कुल खसरा 21 कुल रकबा 46.84 है0 बताया है जो गलत है। रकबा 46.84 है0 के हिसाब से करीबन 292 बीघा की कृषि भूमि आती है। धारेश्वरसिंह के एकमात्र खातेदार धर्मपत्नि उगमकंवर के नाम बिल्कुल सही म्यूटेशन भरा गया है। उगमकंवर को अपनी कृषि भूमि से सम्बन्धित खातेदारी अधिकार बाबत् तमाम तरह के दस्तावेजात तहरीर व तकमील करने का कानूनी अधिकार था। इन्ही अधिकारो का प्रयोग करते हुए उगमकंवर ने खसरा संख्या 177 में से महावीरसिंह को 19/140 खसरा संख्या 198 199 में से 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 तेजेन्द्रसिंह को खसरा संख्या 200 में से सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया जो सही है। अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए उगम कंवर ने खसरा संख्या 109 151 में से 1/8 हिस्सा महावीरसिंह को खसरा संख्या 152 में से 1/4 हिस्सा महावीर सिंह को बेचान किया जो सही है। उगमकंवर ने दिनांक 03.07.2017 को अरिंग वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या 01 तेजेन्द्रसिंह के पक्ष में तहरीर व तकमील की । उगमकंवर की मृत्यु 2017 में हो जाने के बाद उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आया। वसीयतनामा के आधार पर अप्रार्थी

संख्या 01 ने तहसीलदार, सोजत के समक्ष म्यूटेशन करने हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार, ने उक्त आवेदन पत्र धारा 135(2) एलआरएक्ट के तहत दर्ज कर मुकदमा नंबर 25/2017 में पटवारी हल्का से जाँच करवाकर व अखबार छपवा करवाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये। पूरणसिंह के साथ अप्रार्थी की बुआ उगमकंवर कभी निवास नहीं करती थी। अपने भतीजे के साथ निवास करती थी। पूरणसिंह व उनके परिवार के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के उपर कई मुकदमें भी दर्ज करवा चुके हैं जिसमें पुलिस ने एफ आर भी पेश कर दी है। अप्रार्थीगण आज भी खातेदार काश्तकार है तथा माननीय एच0सी0 एवं रेवेन्यु बोर्ड के अनुसार खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार का माननीय न्यायालय स्टे जारी नहीं कर सकता है प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में है यदि माननीय न्यायालय द्वारा उसके अधिकारों के विरूद्ध रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपरिनित क्षति होगी। इस प्रकार जबाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 02 महावीर सिंह की ओर से जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी ने गलत व मिथ्या प्रा0 पत्र पेश किया है जिसकी सत्यता प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 2 का निवास स्थान ग्राम सारंगवास है यह प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के निवास स्थान के बारे में जानकारी ही नहीं है। जबकि पक्षकार प्रतिवादी में निवास स्थान प्रार्थी ने जानबूझकर गलत अंकित किया है। अप्रार्थी के बारे में वाद व प्रा0 पत्र में अंकित किये गये तमाम तथ्य स्वतः असत्य साबित है। उक्त वाद में वर्णित खसरा किसी नाथुसिंह पुत्र विरदसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि नहीं थी, न ही नाथूसिंह के पुत्रियां थी, न ही तथाकथित पुत्रियां के कोई संतान थी। उक्त वादस्थ भूमि में कभी विशनकंवर तथा समद कंवर का कब्जा नही रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा समय समय पर सम्पन्न सम्पूर्ण कार्यवाही नामान्तरकरण जमाबंदी, इन्द्राज इत्यादि विधिक रूप से नियमानुसार निष्पादित की गई, जो सम्पूर्ण प्रविष्टियां शुरू से अन्त तक सही सत्य है। नये खसरा क्षेत्रफल, किस्म व खातेदारों का हवाला प्रार्थी द्वारा किया गया परन्तु सेटलमेंट के बाद सम्वत् 2045–2048 की जमाबंदी के अनुसार दर्ज नये खसरा नंबर, खाता संख्या, क्षेत्रफल, किस्म व खातेदार का मिलान इससे पूर्व की जमाबंदी यानि सम्वत 2041 से 2044 की जमाबंदी से नहीं किया गया है प्रार्थी यह स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहा है कि परिवर्तित खसरा नंबर के पूर्व के खसरा नंबर कितने थे, उसे रकबे किस्म व खातेदारी की प्रविष्टियो का इन्द्राज क्या था। खातेदार धारेश्वरसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान बेवा उगमकंवर के नाम म्यूटेशन भरा गया जो अंकण पूर्णतः विधि विरूद्ध किस प्रकार है। अगर म्यूटेशन विधि विरूद्ध था तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में म्यूटेशन की अपील प्रार्थी द्वारा क्यो नहीं की गई। नाथुसिंह के निधन के पश्चात् कृषि भूमि में धारेश्वरसिंह के नाम जमाबंदी में इन्द्राजित हुआ तथा उक्त भौतिक व वास्तविक कब्जा भी धारेश्वरसिंह का उक्त कृषि भूमि पर रहा तो प्रार्थी की माता व शैतानसिंह की माता न तो विधिक दस्तावेजी कब्जा रहा, न ही वास्तविक भौतिक कब्जा जो विधिक अधिपत्य से होना था। उगमकंवर का नाम जमाबंदी में उनके पति स्वर्गीय धारेश्वरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने से विधि अनुसार बाद जांच कौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में दर्ज किया गया। उगमकंवर ने अपने कानुनी अधिकारो का प्रयोग करते हुए खसरा नंबर 177 का हिस्सा कानूनी रूप से बेचान खातेदारी विलेख के जरिए अप्रार्थी संख्या 2 महावीरसिंह के पक्ष में बएवज प्रतिफल माकुल पंजीयन शुल्क स्टाम्प पर निष्पादित किया गया। जिसका जमाबंदी इन्द्राज जरिए म्यूटेशन संख्या 402 के द्वारा महावीरसिंह का 19/140 जमाबंदी में दर्ज किया गया, जो विधि सम्मत था। उगमकंवर का किस प्रकार विधिक अधिपत्य नहीं था। प्रार्थी स्वयं साबित करे। सम्पूर्ण वाद प्रार्थीगण व पूरणसिंह पुत्र गणपतसिंह की दुर्भिसंधि के आधार पर झूठे व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण मृतक धारेश्वरसिंह व उनकी पत्नि की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खातेदारी की भूमि प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। प्रार्थीगण ने झूठे मनगढंत तथ्यों को आधार मानकर झूठा वाद व प्रा0 पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही होकर अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही हैं। इस प्रकार जवाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 04 महिपाल सिंह की ओर से जवाब पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1/16 हिस्सा नाथूसिंह पुत्र विरदसिंह राजपूत नि0 सारंगवास का अवश्य था, तथा उनका स्वर्गवास सन 1962 में हो गया था, तथा उन्होने अपने जीवनकाल में धारेश्वर सिंह पुत्र भैरूसिंह को नाथुसिंह ने अपने जीवनकाल में गोद लिया था, और गोदी पुत्र की हैसियत से उनका म्यूटेशन सन 1967 में ग्राम पंचायत हरियामाली द्वारा भरा गया था तथा प्रार्थीगण ने नाथुसिंह के निधन के पश्चात् उनके दो विधिक उतराधिकारी के रूप में दो लड़किया विशन कंवर व समुन्दर कवंर बताई है, जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा प्रार्थीगण स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे कि वास्तव नें प्रार्थीगण की माता स्व0 नाथुसिंह की पुत्री थी, क्योकि मुझ अप्रार्थी को नाथुसिंह के उतराधिकारीयों के बारे में जानकारी नही है, क्योकि मै, ग्राम पीपलाद तहसील रोजदा का रहने वाला हूं तथा मैं उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में से मैने अप्रार्थी संख्या 1 तेजेन्द्रसिंह से उनके हक हिस्से की कृषि भूमि में से 18/140 में से 7/8 हिस्सा जरिए बेचान पंजीयन दस्तावेज के खरीद किया था तथा मौके पर मैने कब्जा प्राप्त किया था तथा खरीद की तारीख से आज तक मेरा ही खरीद की गई कृषि भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, जैसा कि प्रार्थीगण अपने प्रा0 पत्र में 1962 में होने के पश्चात 56 साल की अवधि में किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त करने हेतु कोई दावा नही किया और न ही उन्होने मौके पर कोई कब्जा काश्त किया और न ही धारेश्वरसिंह पुत्र भैरूसिंह एवं उनकी पत्नि उगमकंवर व तेजेन्द्रसिंह को कभी बेदखल किया है, न ही इनके विरूद्ध कोई वाद पेश किया, यदि प्रार्थीगण की माता वास्तव में नाथुसिंह की पुत्रिया होती तो अवश्य ही अपने पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाही अवश्य करती और अपने नाम पर फौतेदगी म्यूटेशन भी भरवाती तथा नाथुसिंह के हक हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण की माता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का स्वयं का कब्जा काश्त अवश्य होता, जो नही है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थीगण की माता नाथुसिंह की पुत्रिया नही थी, जो बाद में नाथुसिंह का विधिक उतराधिकारी का जो सजरा पेश किया है, वो गलत झूठा एवं जर्जी है, जिससे किसी प्रकार का प्रार्थीगण को हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है, सन 1962 में जब नाथुसिंह का देहान्त हुआ था, तत्पश्चात प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की माता एवं उसकी नौसो समन्दर कंवर उर्फ एवन कंवर व उनके पुत्र इंतानसिंह उर्फ भंवरसिंह गोदीपुत्र का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, न ही उनको उतराधिकारी नें खातेदारी अधिकार विधिक रूप से न्यायगत हुए थे, क्योंकि सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण यह साबित करे कि उनकी माता वास्तव में नाथुसिंह की पुत्री थी और प्रार्थीगण स्वयं विशनकंवर के पुत्र थे, यह साबित करने का भार प्रार्थीगण के उपर है, लेकिन यह बात सत्य है कि मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त आज तक नहीं रहा है, जबकि मौके पर व राजस्व रेकर्ड में कब्जा व नाम नाथुसिंह के पुत्र धारेश्वर सिंह और धारेश्वर की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि उगम कंवर का नामान्तरकरण किया गया था तथा उगम कंवर की मृत्यु के पश्चात वसीयत के आधार पर तेजेन्द्रसिंह का नामान्तरण किया गया था और आज भी तेजेन्द्रसिंह व उनसे खरीदकर्ताओं में महावीरसिंह और मुझ अप्रार्थी महिपालसिंह का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारेश्वर सिंह ने पटवारी से साठ-गाँठ कर जमाबंदी मे अपना नामान्तरण नाथुसिंह के स्थान पर नहीं भरवाया था, जबकि नाथुसिंह के अन्य कोई संतान नही होने की वजह से उनका नामान्तरण नहीं हुआ, यदि नाथुसिंह के अन्य कोई पुत्रिया होती तो उनका नामान्तरण अवश्य होता। इस

उपखण्ड अधिकारी
ओसियां

प्रकार राजस्व रेकर्ड में जो उतराधिकारी के रूप में प्रविष्टियाँ हुई वो सही है। जो रेकर्ड में धारेश्वरसिंह पुत्र नाथुसिंह का हक हिस्सा दर्शाया गया है, वह सही है और उसके पश्चात धारेश्वरसिंह पुत्र नाथुसिंह का हक हिस्सा दर्शाया वह सही होने से व राजस्व रेकर्ड अनुसार सही है। धारेश्वरसिंह के निधन के पश्चात उनकी धर्मपत्नि उगम कंवर का नामान्तरण विधिवत रूप से भरा गया था, जो सही होने से स्वीकार है तथा जब तक नाथुसिंह जीवित रहे उनका कब्जा काश्त रहा होगा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र धारेश्वरसिंह व धारेश्वरसिंह के निधन के पश्चात उनकी पत्नि उगमकंवर व उगमकंवर की मृत्यु के पश्चात वसीयतकर्ता तेजेन्द्रसिंह व तेजेन्द्रसिंह के बेचान के पश्चात महावीरसिंह व मुझ खरीदकर्ता महिपालसिंह का खरीद के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त विधिक रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है, क्योंकि वो उनके जीवनकाल में कभी भी ग्राम सारंगवास में न तो वे नही कभी रहे, और न ही उनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा है, जिससे प्रार्थी का पैरा गलत होने से अस्वीकार है। धारेश्वर सिंह के देहान्त के पश्चात उनकी धर्मपत्नि ने अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने हिस्से की कृषि भूमि में से कुछ भूमि का बेचान महावीर सिंह को दिनांक 19.02.2013 को खसरा नंबर 177 में से कुछ हिस्सा पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा नामान्तरण भरा गया, विधिवत था, तत्पश्चात उगम कंवर ने दिनांक 03.06.2015 को पंजीकृत विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 1 तेजेन्द्रसिंह को किया था और उनका नामान्तरकरण विधिवत रूप से भरा गया था, फिर तेजेन्द्रसिंह के पक्ष में जो कृषि भूमि उगम कंवर ने तेजेन्द्रसिंह को रजिस्टर्ड वसीयत की थी, उस कृषि भूमि में से मुझ प्रतिवादी संख्या 58 को दिनांक 10.04.2019 को विधिवत रूप से खसरा नंबर 177 में से 16/140 वे हिस्से में से ../6 वाँ हिस्सा बेचान किया था, तथा अप्रार्थी संख्या 58 के नाम पर पंजीकृत विक्रय विलेख विधिवत रूप से किया गया था और मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा आज भी मुझ खरीदकर्ता का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रजिस्ट्री के अनुसार मेरे नाम पर नामान्तरण हल्का पटवारी के पास प्रा0 पत्र पेश किया था इसी बीच न्यायालय हाजा से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित होने से म्यूटेशन स्वीकृत नही हुआ है, जबकि आज तक इतने बेचान व म्यूटेशन भरे गये उनके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई म्यूटेशन अपील या बेचान रजिस्ट्री निरस्त करवाने की कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई है, जिससे भी प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है तथा प्रार्थीगण को कोई विधिक रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। उगम कंवर को विधिवत रूप से उक्त कृषि भूमि अपने पति से उतराधिकारी के रूप में प्राप्त हुई थी, जिससे उनका विधिवत रूप से म्यूटेशन भरा गया और राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हुआ और मौके पर उगम कंवर का ही कब्जा काश्त होने से उगम कंवर ने खसरा नंबर 109, 151, 152 में अपना नाम अंकित होने से 1/4 हक हिस्से की कृषि भूमि का पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 25.02.2016 को विधिवत रूप से अप्रार्थी संख्या 2 महावीरसिंह के नाम किया था और उस विक्रय विलेख के अनुसार दिनांक 20.04.2016 को महावीर सिंह के नाम विधिवत रूप से खातेदार के रूप में नाम अंकित किया गया और उसी खातेदारी के अनुसार महावीर सिंह ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है तथा इसी प्रकार तेजेन्द्रसिंह के नाम पर भी रजिस्ट्री करवाई और बाद में वसीयत भी की थी, उसी कृषि भूमि में से मुझ अप्रार्थी को विधिवत रूप से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था मै एक बोनाफाईड खरीदकर्ता हूँ और मैने राजस्व रेकर्ड के अनुसार एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात ही खरीद किया था, यदि प्रार्थीगण का हक हिस्सा उक्त कृषि भूमि में होता तो उगम कंवर व उनके पति धारेश्वर सिंह के नाम जब म्यूटेशन भरा गया तो उस म्यूटेशन के विरूद्ध प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की माता अवश्य म्यूटेशन अपील करते तथा उगम कंवर के द्वारा तीन चार बार बेचान कर रजिस्ट्रीया निरस्त करवाने हेतु न्यायालय मे अवश्यक कार्यवाही करते। वादी का हक हिस्सा नही होने की वजह से इन्होने

कोई कानूनी कार्यवाही करना उचित नही समझा इस प्रकार धारेश्वर सिंह व उनकी पत्नि उगम कंवर का कई वर्षो से कब्जा काश्त होने से उनके एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार बन जाता है आज मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रा० न्यायालय हाजा में पेश किया जो खारीज होने योग्य है। उगम कंवर की पिछले कुछ वर्षो से शारीरिक व मानसिंह स्थिति खराब रहने लगी जिस वजह से उनकी याददाश्त अत्याधिक कमजोर हो गई तथा उनकी मानसिंह स्थिति खराब होने लग गई वह भला बुरा सोचने समझने की स्थिति में नही रही इस कोई मेडिकल सर्टीफिकेट प्रार्थीगण ने अपने प्रा० पत्र के साथ उगम कंवर का पेश नही किया है तथा उनको लकवा हो गया इसका भी कोई मेडिकल सर्टीफिकेट प्रार्थीगण ने पेश नही किया प्रार्थीगण ने यह लिखा कि उगम कंवर का देहान्त वर्ष 2017 में रक्षा बंधन के एक दिन पूर्व हो गया था, उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ने एक फर्जी वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में श्रीमति उगम कंवर के नाम से अंकित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 572 अपने नाम भरवा दिया था, उक्त वसीयत यदि फर्जी थी, तो प्रार्थीगण को उसके निरस्त करवाने बाबत् कानूनी कार्यवाही क्यों नही की, तथा वसीयत फर्जी थी, जो उसके खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाने बाबत् वसीयतकर्ता तेजेन्द्रसिंह के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज क्यों नही करवाया फिर उन्होंने लिखा कि उगमकंर के कोई जायन्दा संतान नही थी, तो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण ने अपने नाम पर हाथो हाथ म्यूटेशन क्यो नही भरवाया तथा उगम कंर के देवर गणपतसिंह का निधन बहुत पहले हो गया था, जिसकी जानकारी मुझ अप्रार्थी को नही है तथा एक सवा साल उम्र के पुत्र पूरणसिंह को अपने बेटे की तरह पाल पोश कर बड़ा किया तथा पुरण सिंह उगमकंवर के साथ ग्राम सारंगवास में निवास करता था, जिसकी जानकारी मुझ अप्रार्थी को नही है तथा पूरण सिंह को बेदखल करने की कोशिश अप्रार्थी संख्या 2 महावीरसिंह ने की हो, दोनो पक्षो में मुकदमें बाजी हुई हो, विवाद बढ़ा हुआ हो, उसकी जानकारी मुझ अप्रार्थी को नही है। प्रार्थीगण स्वयं दस्तावेजो के आधार पर साबित करें। प्राथीगण ने यह लिखा कि जब पूरणसिंह व महावीरसिंह दोनो पक्षो के बीच मुकदमेबाजी हुई, तब प्रार्थीगण सारंगवास आये और प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उगम कंवर की कूटरचित वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम पर म्यूटेशन भरवा दिया है, और नाथूसिंह के निधन के पश्चात धारेश्वर सिंह ने अपने नाम म्यूटेशन भरवा दिया तो करीब 56 साल तक प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की माता ने क्या कानूनी कार्यवाही की, यह प्रार्थीगण स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.03.2019 को माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा० पत्र पेश किया। दिनांक 02.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 तेजेन्द्रसिंह को समन तामिल हो गया ओर दिनांक 10.04.2019 को माननीय न्यायालय में उनके अधिवक्ता हाजिर हुआ एवं उसी दिन शाम को 5 बजे अप्रार्थी संख्या 1 ने वाद विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 177 रकबा 11.1700 है० मे से अपने नाम से अंकित खातेदारी कृषि भूमि 16/140वे हक हिस्से में से 7/8 हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय मुझ अप्रार्थी महिपालसिंह को कर दिया था तो मैंने बोनाफाईट रूप से कृषि भूमि खरीद की थी। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी से कभी नही मिले है न ही मैं उनको जानता हूँ, लगाये गये आरोप झूठे है मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है। मै सदभाविक क्रेता हूँ। मैने विधिवत रूप से कृषि भूमि खरीद की है। इस प्रकार जबाब प्रा० पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रा० पत्र को खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

बहस बकुलाय प्रा0 पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया किसरहद मौजा ग्राम सारंगवास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 35, 36, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 197, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, व 97 कुल खसरा 27 रकबा क्षेत्रफल 544 बीघा व 12 बिस्वा में प्रार्थीगण के नाना स्वर्गीय नाथुसिंह पुत्र विरदसिंह जाति राजपूत निवासी सारंगवास का 1/16वां हक हिस्सा खातेदारी का कब्जाकाश्त शुदा था। नाथुसिंह के विधिक वारिसान पुत्रिया विशनकंवर व समदकंवर थी। दोनों पुत्रियां विशनकंवर जो प्रार्थीगण की नाना है एवं समदकंवर बतौर उत्तराधिकारी खातेदारी उनके न्यायगत हुए। इस प्रकार वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाना का 1/16वां हिस्सा का 1/2 अर्थात 1/32वां हिस्सा इसी प्रकार समदकंवर का भी 1/32वां हिस्सा बनता है। किन्तु धारेश्वरसिंह ने साठ–गांठ कर जमाबंदी सम्वत् 2024–27 में नाथुसिंह वल्द विरदसिंह 1/16 हिस्सा बिना म्यूटेशन भरे अपने नाम का अंकन करवा दिया जो त्रुटिपूर्ण है। धारेश्वरसिंह के निधन के पश्चात प्रार्थित भूमि का म्यूटेशन उनकी पत्नि उगमकंवर के नाम भरा गया जो विधि विरूद्ध है। उगमकंवर ने प्रार्थित कृषि भूमि में से कुछ कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दिया। उगमकंवर के निधन के पश्चात कूटरचित वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने उगमकंवर के स्थान पर सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख में अपना नाम बतौर खातेदार अंकित करवा दिया है। जो सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध है एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 54 के हक अधिकारो के विरूद्ध शून्य व अप्रभावी है। वाद विचाराधीन होने के बाद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 के द्वारा खसरा नंबर 177 की भूमि में से 7/8वें हिस्से की भूमि का विक्रय विधि विरूद्ध रूप से महिपालसिंह को कर दिया है। उगमकंवर को प्रार्थित कृषि भूमि के किसी भाग को बेचने अथवा वसीयत करने का अधिकार नही था। उगमकंवर का नाम पति धारेश्वरसिंह के स्थान पर अंकित किया गया है। धारेश्वरसिंह का प्रार्थित भूमि में कोई हक अधिकार नही था, क्योंकि धारेश्वरसिंह नाथुसिंह के पुत्र नही होकर भैरूसिंह के पुत्र थे। नाथुसिंह की दोनो पुत्रिया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी, एवं वे दोनो जीवित थी। प्रार्थित भूमि में किये गये अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये बेचान पूर्णतः अधिकारिता विहीन होने के कारण शून्य व निष्प्रभावी है। धारेश्वर सिंह द्वारा कोई गोदनामा पेश नही किया गया है। प्रारंभ से शून्य दस्तावेज को चेलेन्ज करने की आवश्यकता नही है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी व्यक्त किया कि धारेश्वरसिंह यदि गोदी पुत्र होतो भी 1/3 हिस्से का ही हकदार है शेष का नही। अप्रार्थीगण गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा यदि नही रोका गया तो वे उसका बेचान कर देंगें। जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईस्तदुआ की है। अपने कथनो के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(2)आरआरटी1081 माननीय रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर, प्रेम बनाम जयपाल,

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि 60 वर्ष बाद में वाद में वाद पेश किया हैं। वसीयत फर्जी होने के आधार पर फौजदारीमुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था किन्तु ऐसा कोई प्रकरण दर्ज नही करवाया गया है। वसीयत भी तहसीलदार सोजतके यहॉं तस्दीक होकर नामान्तरकरणखोला गया है न कि ग्राम पंचायत द्वारा। तहसीलदार सोजत द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करते समय भी प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुर्वज ने कोई आपत्ति नहीं पेश की है। वाद की विषय वस्तु स्पष्ट होना आवश्यक है। प्रार्थीगण उत्तराधिकारी है या नही अस्पष्ट है। प्रार्थी नाथूसिंह पुत्रीया होना बताया गया किन्तु स्पष्ट नही किया गया। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीतकृषि भूमि काब्जा शुदा है। एवं रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत

दृष्टान्त / उद्धरण आरआरडी 2011, पी 563, आरआरडी 2014 पी 463, आरआरडी 2015 पी 210, आरआरडी 2017 पी 286, डीएचजे राजस्व 2020 पी 118 पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। मूल वाद खातेदारी अधिकार के साथ विभाजन का है। मूल वाद प्रकरण में मूल पुरूष नाथूसिंह के विधिक वारिसानों को तय किया जाना है। दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया नाथुसिंह के फौत होने पर केवल धारेश्वरसिंह का नाम ही बतौर उत्तराधिकारी दर्ज होना मुख्य विषय है। इसकी स्पष्टता हेतु मुल वाद में प्रस्तुत प्रा0 पत्र के संलग्न दस्तावेजात अनुसार तनकियात कायम होकर बाद साक्ष्य सबूतो के दस्तावेजात तथा साक्ष्यों के आधार पर बहस वकुलाय सुनी जाकर विवेचन/विश्लेषण पश्चात् हक अधिकारों का विनिश्चय किया जा सकेगा। तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित प्रतित होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तिनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त की अपेक्षाकृत उचित चस्पा होते है। लिहाजा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित प्रतित होता है।

—::आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषण अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारीअधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अम्र की सादिर की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थित कृषि भूमि 193 195, 196 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.4500 हैक्टर गै.मु.रास्ता, गै.मु.बेरा, गै.मु.सड़क 107 106, 113, 114, 151/486, 110, 111, 112 (हैक्टर में) कुल खसरा 08 कुल रकबा 10.4500 हैक्टर गै.मु.सेरिया गै.मु.सड़क गै.मु.बेरा ढिमडी खसरा संख्या 108, 151 कुल खसरा 02 कुल क्षैत्रफल— 7.1500 हैक्टर खसरा संख्या 152, 177, 190, 192, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा 08 कुल रकबा 28.8900 हैक्टर की कृषि भूमि अन्य किसी को वाद निर्णय तक बैयान रहन इत्यादि नही करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/05/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत